



अंशुल कुमार, भा0प्र0से0
जिलाधिकारी, बांका

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

बांका समाहरणालय
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक—/गो0,



बांका, दिनांक—/...../, 2024

विषय :— अराजी बाबरचक महादलित टोला से नवादा धौरैया आर0सी0डी0 मैन रोड की मरम्मत कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सादर कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा महिला संवाद यात्रा के अन्तर्गत सभाविता चयन स्थल ग्राम बाबरचक स्मार्ट विलेज, रजौन प्रखण्ड अन्तर्गत हैं इसी आलोक में बाबरचक स्मार्ट विलेज जाने वाले पथ अराजी बाबरचक महादलित टोला से नवादा धौरैया आर0 सी0 डी0 मैन रोड तक कुल लम्बाई—0.756 कि0मी0 का मजबूतीकरण तथा मरम्मत कार्य कराना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बांका-02 को उक्त पथ की मरम्मत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

हो/ —

जिला पदाधिकारी,
बांका।

ज्ञापांक.....1795/गो0, दिनांक.....03.12.2024

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल संख्या-02 बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— उप विकास आयुक्त, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बांका।

3.12.24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)-3054-01-335 /2024 436

/पटना, दिनांक- 25.02.2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, मा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के बांका जिला में 01 योजना के उन्नयनार्थ स्तम्भ-8 में अंकित लम्बाई (कि०मी०) एवं स्तम्भ-8 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रू० 21.15800 लाख रुपये (इक्कीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ रुपये) मात्र है, पर (कुल 01 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के बांका जिला अन्तर्गत 01 योजना के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 में अंकित कुल राशि 21.58000 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

SL.No	District	Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Upgradation/ Strengthening with surface (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banka	Banka-2	Rajaun	Araji Barbarchak Mahadalit Tola To Nawada Dhoraiya RCD Main Road	0.756	21.15800	21.15800
		Total			0.756		21.15800

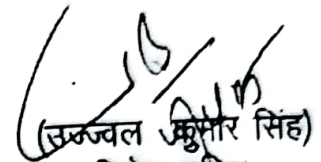
- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 37-4515-00-789-0107, बजट उपबंध-700 करोड़ रू० का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, बांका योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो

Me

- का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
 5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-3054-01-335 /2024 में दिनांक 30.12.2024 को प्राप्त है।
 6. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर. मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-3054-01-335 /2024 में दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त है।
 7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
 8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
 10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
 11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
 12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
 13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
 16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)-3054-01- 335 /2024 के पृ०- 11/टि० पर दिनांक- 20.02.2025 को प्राप्त है।

विश्वासमाजन


(अनुज कुमार सिंह)
विशेष सचिव

17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- गु०अ० (अ०उ०)-3054-01- 335 /2024 के पृ०-11 /टि० पर दिनांक-20.02.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन-

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- गु०अ० (अ०उ०)-3054-01-335 /2024 436
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
/पटना, दिनांक-25.02.25

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- गु०अ० (अ०उ०)-3054-01-335 /2024 436
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता- 3, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
/पटना, दिनांक-25.02.2025

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव